संख्या-24/2015/681 ई-2/तेरह-2015-126/2013

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 15 जून,2015

विषय:- भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति टेट्रा पैक में अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-240/दस-लाइसेंस-367/खण्ड-2/सुझाव आबकारी नीति/2015-16, दिनांक 23 मार्च,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी नीति 2014-15 एवं 2015-16 के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-116 ई-2/तेरह-2014-126/2013, दिनांक 29-01-2014 के क्रम में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23 मार्च,2015 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2015-16 के लिये विदेशी मदिरा की इकोनामी, मीडियम एवं रेगुलर श्रेणियों में 180 एम0एल0 की धारिता में विदेशी मदिरा की आपूर्ति टेट्रा पैक में भी निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

(1) टेट्रा पैक पर शेल्फ लाइफ अर्थात् " टेट्रा पैक में भरी हुई मदिरा का उपभोग भराई के दिनांक से .....की अवधि में अनुमन्य है," का उल्लेख किया जायेगा। इसके सम्बन्ध में पेट बोतल की भांति सम्बन्धित अनुसंधान संस्थान से रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी।

(2) टेट्रा पैक पर उसमें भरी हुई मदिरा की मात्रा के उललेख के साथ ही मदिरा सहित टेट्रा पैक के वजन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

(3) उपयोग किये जाने से पूर्व टेट्रा पैक की गुणवत्ता एवं उसमें मदिरा भरे जाने के संदर्भ में Central Food Technology Research Institute (CFTRI) Mysore अथवा Industrial Toxicology Research Centre, Lucknow अथवा Indian Institute of packaging, New Delhi का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) टेट्रा पैक छः स्तरीय होगा।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।